कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला इन्दौर (म.प्र.)

//निविदा आमंत्रण सुचना//

जिला एवं सत्र न्यायालय, इंदौर में वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए समय–समय पर आवश्यकता अनुसार कम्प्यूटर सामग्री क्रय किये जाने हेतु मोहरबंद निविदायें आमंत्रित की जा रही है। इच्छुक व्यापारी/विक्रेता/निर्माता अपनी निविदायें मोहरबंद कर पूर्ण जानकारी सहित जिला एवं सत्र न्यायालय इंदौर में दिनांक 11.08.2023 को दोपहर 02:00 बजे तक आवक जावक शाखा में जमा कर सकते है। प्राप्त निविदायें दिनांक 11.08.2023 को शाम 05:00 बजे इस स्थापना पर गठित क्रय समिति के समक्ष निविदाकर्ता/प्रतिनिधि की उपस्थिति में खोली जाएगी। निविदा का प्रारूप शर्ते एवं वांछित सामग्री की जानकारी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की वेबसाइट www.mphc.gov.in एवं जिला न्यायालय इंदौर की वेबसाइट www.districts.ecourts.gov.in/indore पर भी उपलब्ध है।

26.07.2023

वास्ते–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जिला इंदौर(म.प्र.)

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला इन्दौर (म.प्र.)

:: निविदा शर्ते ::

वर्ष 2023–24 हेतु मोहरबंद निविदायें निम्न शर्तो के अन्तर्गत संलग्न सूची अनुसार कम्प्यूटर सामग्री हेतु आमंत्रित की जाती है :–

1– निविदा आवेदन पत्र में शर्तो एवं सामग्री सूची तथा रूपये 1000/– का डी.डी. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश इन्दौर के नाम पर देय होगा या ऑनलाईन चालान के माध्यम से शासन का हैड '0070–01–800–0000' मे जमा कर चालान की मूलप्रति प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इन्दौर के नाम से प्रस्तुत की जायेगी। रूपये 1000/– आवेदन पत्र की राशि किसी भी स्थिति में वापसी योग्य नहीं होगी। मोहरबंद निविदायें प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश इन्दौर के नाम से दिनांक 11.08.2023 को दोपहर 02:00 बजे तक प्राप्त हो जाना चाहिए। निविदायें उसी दिन निविदाकरों के समक्ष शाम 05:00 बजे खोली जावेगी।

2– लिफाफे पर स्पष्ट रूप से कम्प्यूटर सामग्री प्रदाय करने हेतु निविदा लिखा जाना चाहिए।

3– नियत दिनांक एवं समय के पश्चात निविदा प्राप्त होने पर ऐसी निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।

4– आदेश अनुसार सामग्री न्यायालय तक पहुंचाए जाने का समस्त दायित्व निविदाकार का होगा।

5– प्रधान जिला न्यायाधीश इंदौर को यह अधिकार होगा कि निविदा खोलते समय यदि किसी सामग्री की दर अन्य निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत दरों से अपेक्षाकृत कम है तो ऐसी स्थिति में दरों के आधार पर एक से अधिक निविदाकर्ताओं से पृथक पृथक अनुबंध किया जा सकता है एवं बिना कोई कारण बताए किसी भी निविदा अथवा सभी निविदाओं को निरस्त कर सकते है।

6– निविदा में प्रत्येक सामग्री किस कंपनी द्वारा निर्मित है, आदि जानकारी निविदा में अंकित करना अनिवार्य है।

7– निविदा एवं निविदा के साथ संलग्न सभी दस्तावेजों में निविदाकर्ता के हस्ताक्षर व सील होना आवश्यक है।

8– निविदाकार द्वारा दी गई सूची की सामग्री आवश्यकतानुसार स्वीकृत दर पर प्रदाय करने हेतु निर्धारित तिथि तक बाध्य होगा।

9– प्रदाय की गई कोई भी सामग्री चाही गई कंपनी की न होने पर अथवा उससे निम्न स्तर की होने की दशा में ऐसी सामग्री निविदाकार को अपने व्यय पर वापस उठाना होगा तथा कंपनी के अनुसार सामग्री अतिशीघ्र प्रदाय करनी होगी।

10– निविदा मे प्रत्येक सामग्री का स्पष्ट विवरण होना चाहिए, एवं प्रत्येक सामग्री का सेम्पल होना चाहिए, जो सेम्पल प्रस्तुत नही करेगा, उसकी निविदा पर विचार नही किया जायेगा।

11– निविदा से सम्बंधित शर्ते एवं प्रदाय किए जाने वाले सामान की सूची उच्च्य न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की वेबसाईट www.mphc.gov.in एवं जिला न्यायालय इन्दौर की वेबसाईट www.districts.ecourts.gov.in/indore से डाउनलोड किया जा सकता है।

12– सामग्री का आदेश प्राप्त होने पर सामग्री निर्धारित अवधि मे प्रदाय करनी होगी।

13– निविदा की दरें अनुबंध दिनांक से 31 मार्च 2024 तक मान्य होगी।

14– निविदाकार, वाणिज्यकर/जीएसटी पंजीयन होने का जीवित प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न करें तथा साथ ही फर्म ने आयकर अदा किया है उस पर कोई कर बकाया नहीं है स्पष्ट करें।

15– कम्प्यूटर सामग्री की सूची के अनुसार जिन सामग्रियों के निर्माता कंपनीयों के नाम अंकित है, केवल उन्हीं कंपनियों के सामग्री की दर देवें। अन्यथा मान्य नहीं होगी।

16– निविदाकारों को सुरक्षा निधि के रूप में रूपये 10,000/–(अक्षरी रूपये दस हजार मात्र) की ईएमडी/एफडीआर के रूप में निविदा के साथ जमा करनी होगी, जो कि 31 मार्च 2024 तक वैध हो। एफ.डी.आर. के अतिरिक्त कोई भी ईएमडी जमा करने पर निविदाकरों की निविदा निरस्त की जा सकती है।

17– सभी कम्प्यूटर सामग्री के ब्रान्डेड/नॉन ब्रॉडेंड के नमूने निविदा खोली जाते समय निविदा समिति द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा।

18– किसी भी शर्त के भंग होने पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश इंदौर को अनुबंध निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा तथा सुरक्षा निधि राजसात कर जी जाएगी।

19– शासन द्वारा लागू जीएसटी की दरें अधिक या कम होने पर विचारणीय होगा।

20– सम्पूर्ण सामग्री की दरें समस्त करों सहित दी जाये।

21– वित्तीय/तकनीकी लिफाफे– निविदाकर्ता पृथक–पृथक वित्तीय, तकनीकी एवं ईएमडी की राशि वाले लिफाफे तैयार कर उन पर वित्तीय, तकनीकी विड, ईएमडी लेख करते हुए उक्त तीनों लिफाफों को चौथे लिफाफें में मुहरबंद कर निविदा प्रस्तुत की जाएगी।

22– निविदा खोली जाते समय सर्वप्रथम तकनीकी विड एवं ईएमडी की राशि के लिफाफे खोले जाएंगे जिस निविदाकर्ता द्वारा ईएमडी की राशि एवं तकनीकी विड से संबंधित चाहे गए आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाएंगे उन निविदाकर्ताओं की निविदा पर वित्तीय विड के संबंध में कोई विचार नहीं किया जावेगा। तकनीकी विड में सफल निविदाकर्ताओं के ही वित्तीय पेड के लिफाफे खोले जाएंगे।

23– निविदाकर्ता द्वारा सामग्री की जो भी दरें दी गई है, वह एक वर्ष के लिए यथावत रहेगी निविदाकारों द्वारा किसी भी वस्तु की दर बढ़ाने हेतु किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा।

24– निविदा प्रस्तुत करते समय निविदा से संबंधित आवश्यक जानकारी हेतु सिस्टम ऑफिसर अनुभाग, इंदौर के मोबाईल नंबर 9098437772 पर संपर्क किया जा सकता है।

26/07/2023

कृते– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जिला इंदौर(म.प्र.)

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर
नाम एवं पता:–

-: List of Computer Items :-

Sr.No.	Name of Items	Name of the Company	Rate per Item (with GST)	Remarks
1	HDMI Cables 10 meter Length			
2	Display Port to HDMI Connection			
3	Printer USB Cable			
4	DVD Writer (HP)			
5	VGA Splitter			
6	Key Board (Dell/HP/logitech)			
7	Hard Disk Casing Sata HDD for Backup Purpose			
8	Mouse (Dell/HP/logitech)			
9	Card Reader			
10	CMOS Battery			
11	Spike (Power Extension Board)			
12	Headphone with Mic (Logitech / HP)			
13	Printer USB Cable (5 Meter)			
14	Power Cables for Desktop or Printer (3 Pins)			
15	Lead acid battery for UPS 6 Amps			
16	Lead acid battery for UPS 12 Amps			

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर
नाम एवं पता एवं मो.न. :–